कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था. /2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती मीरा मीना (MEERA MEENA), प्रधानाचार्य, GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL MANPUR का स्थानान्तरण GOVT. HR.SEC. SCHOOL BAGOLIYA, BHILWARA किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती मीरा मीना द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 21207/2019 मीरा मीना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 21207/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 14.12.2019 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पद दर्शाते हुए अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विभागीय दिशा–निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना याचिकार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना समायोजन राउमावि खारपा कला/राउमावि खैराना/ राउमावि सैमला, जिला झालावाड में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी की प्रतिकूल शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती मीरा मीना (MEERA MEENA) का समायोजन GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHAIRANA (224652), JHALAWAR में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/मीरा मीना/21207/2019 दिनांकः 21.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
5. सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)